भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2955

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

खरीद प्रक्रिया में दक्षता

2955. श्री अमर शरदराव काले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेहूं एवं धान की खरीद में परिचालन दक्षता प्राप्त करने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना सुनिश्चित करने के लिए सपूर्ण तकनीकी समाधानों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या खरीद प्रक्रिया में संपूर्ण एकीकृत तकनीकी समाधान सुनिश्चित करने की कोई संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): सरकार ने देशभर में खरीद प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी सुधार अपनाए हैं। खरीद प्रचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) हस्तक्षेप निम्नलिखित हैं:

i. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत धान और गेहूँ की खरीद राज्य सरकारों के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिससे सरकारी खरीद केंद्रों/मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए किसानों के पंजीकरण, ऑनलाइन भूमि सत्यापन और किसानों के बैंक खाते में सीधे एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान शुरू होने से इस प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता आई है।

ii. खरीद पोर्टल घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तिथि/अवधि, किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए स्लॉट/समय का आबंटन आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। इससे न केवल किसानों द्वारा स्टॉक की डिलीवरी के लिए प्रतीक्षा अवधि कम हुई है, बल्कि किसान अपनी सुविधानुसार निकटतम मंडी में स्टॉक पहुंचाने में भी सक्षम हुए हैं।

...2/-

iii. राज्य खरीद पोर्टलों को केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी) में एकीकृत किया गया है ताकि किसानों के आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित चिन्हित एमटीपी (न्यूनतम सीमा मानदंड) को साझा किया जा सके और एक ऐसा अनुप्रयोग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके जिसमें खरीद के संबंध में आवश्यक जानकारी निगरानी और कार्यनीतिक निर्णय लेने के लिए एकल स्रोत पर उपलब्ध हो।

iv. रबी विपणन मौसम 2021-22 से देशभर में "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" लागू किया गया है जिससे किसानों के खाते में सीधे एमएसपी का भुगतान सुनिश्चित हुआ है। एमएसपी के डीबीटी के कारण प्रणाली में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और वास्तविक समय निगरानी आई है।

v. चावल मिल मालिकों को एफसीआई के डिपो से जोड़ने और कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) की डिलीवरी के लिए उन्हें स्थान आबंटित करने के संबंध में पारदर्शिता लाने के लिए, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन-वेयरहाउस इन्वेंटरी नेटवर्क और गवर्निंग सिस्टम (विंग्स) शुरू की गई है, जिस पर मिल मालिक स्वयं पूर्व-निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टैक बुक कर सकते हैं।

*****